कार्यालय:सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश

23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोड:– 211002

Website: https://entdata.co.in   ई-मेल आई डी:- secretarypnp.up@gmail.com

विज्ञप्ति

सी.टी. (नर्सरी)/डी.पी.एस.ई. (एन.टी.टी.)/ डी.पी.एड. प्रशिक्षण 2025 ऑन लाइन आवेदन

सी०टी० (नर्सरी) हेतु निर्गत शासनादेश सं० 1577/15-11-2014 शिक्षा अनुभाग-11, दिनांक 22.10.2014, डी०पी०एस०ई० (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश सं0 3106/15-11-2013 शिक्षा अनुभाग-11, दिनांक 08.01.2014 एवं डी०पी०एड० प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश सं0 1448/15-11-2014 शिक्षा अनुभाग-11, दिनांक 22.10.2014 में प्रवेश/चयन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार **सी०टी० (नर्सरी) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु /डी०पी०एस०ई०(एन०टी०टी०) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु) एवं डी०पी०एड० प्रशिक्षण 2025** हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सी०टी० (नर्सरी)/डी०पी०एस०ई० (एन०टी०टी०) / डी०पी०एड० प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार आवेदन हेतु न्यूनतम **आयु की गणना 01 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम न हो तथा 35 वर्ष** से अधिक न हो की जाएगी। **आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी** के अभ्यर्थियों को आयु में शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार छूट देय होगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु एवं अन्य शर्तो सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट **https://entdata.co.in** पर उपलब्ध हैं। इसी वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन हेतु पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क जमा करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का लिंक एवं **ऑन लाइन आवेदन-पत्र** उपलब्ध है। आवेदन हेतु निर्धारित समय सारिणी निम्नवत् है :-

1-	ऑन लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	**01.12.2025 (अपराह्न से)**
2-	ऑन लाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	**25.12.2025**
3-	निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	**27.12.2025**
4-	ऑन लाइन आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि	**31.12.2025**

ऑन लाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार एवं विचारणीय नहीं होंगे। उक्त के साथ ही ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के समस्त चरणों को पूरित किये जाने के उपरान्त ही आवेदन पूर्ण एवं स्वीकार किया जाएगा, अधूरे आवेदन पत्रों को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा एवं तत्सम्बन्ध में किसी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ.प्र., प्रयागराज

पृ.सं./गोप./4871-82/2025-26
दिनांकः 27.11.2025